

भारत सरकार
खा
भारत
Azadi Ka
Amrit Mahotsav
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A,
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: MCDR-MiFLOBXT/125/2022-GNR-IBM_RO_GNR
दिनांक: 29.12.2023

Mine code: 07GUJ09027

सेवा में : Shri Sanjaykumar Trikamlal Shah, e mail:-
stshahsorna@gmail.com
A2, Arbudanagar Society, Ratnakar Mata Road,
Kapadwanj, District: Kheda, Gujarat, 387620

विषय: गुजरात राज्य के जिला खेड़ा की तालुका-कपड़वंज में स्थित आपकी सोरना बॉक्साइट खान,
क्षेत्रफल- 26.2196 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।
महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26.08.2023 को श्री मंसूरी मोहमद
आशिफ बाबूभाई, माइनिंग इंजीनियर की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं
विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	No holder of mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the approved mining plan. Whereas, in your case, it is found during inspection that i) the configuration layout of benches is not in systematic manner and not as per the proposed layout given in Plate 3C of the approved Mining Plan document vide letter no. 684(4)(1)/MP-282(202)(49)/2020-21-GNR dated 06/11/2020. ii) As per approved mining plan 500 saplings are proposed to be planted, whereas in your case, it is found during the inspection only 250 saplings were planted, which is less than proposed.
40 read with 11(1)	Every holder of mining lease shall take all possible measure to keep air pollution due to dust, fines, smoke during mining operations. Whereas, in your case, it is found during the inspection that the precautions against air pollution has not been found as the water sprinkler has not been deployed as per the proposal made in the approved mining plan at Chapter 2, Page No. 51 (Table-2.6).

- ०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
- ०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की

1/22678/2023 पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

पुष्पेंद्र गौड़
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर -सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

भवदीय

पुष्पेंद्र गौड़
क्षेत्रीय खान नियंत्रक